लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं.:163*
उत्तर देने की तारीखः 03.03.2020

कमजोर वर्गों के लिये कल्याणकारी योजनाएं

***163. श्री तालारी रंगैय्याः**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में सामान्य श्रेणी के कमजोर वर्गों के लिये सरकारल की कल्याणकारी योजनाएं हैं; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
(श्री थावरचंद गेहलोत)

एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

"कमजोर वर्गों के लिये कल्याणकारी योजनाएं" के संबंध में श्री तालारी रंगैय्या द्वारा दिनांक 03.03.2020 को लोक सभा में उठाए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *163 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : जी हां, इस मंत्रालय द्वारा पूरे देश में सामान्य श्रेणी के कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की जाती हैं :

1. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के छात्रों के लिए केंद्रीय प्रायोजित डॉ. अंबेडकर मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम।

2. ओबीसी/ईबीसी के लिए समुद्रपारीय अध्ययन के लिए डॉ. अंबेडकर शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी स्कीम।

3. एनबीसीएफडीसी द्वारा ओबीसी/ईबीसी के लिए संचालित कौशल विकास कार्यक्रम।

(ख) : स्कीमों से संबंधित ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 03.03.2020 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *163 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

1. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) के लिए डॉ. अम्बेडकर मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

- 2014-15 से राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर अथवा माध्यमिकोत्तर स्तर पर पढ़ने वाले ईबीसी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। पात्रता के लिए माता-पिता/अभिभावक की आय सीमा 1.00 लाख रुपए वार्षिक (स्व-आय सहित, यदि नियोजित हो) है।
- यह एक "सीमित निधि" वाली एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष में उपलब्ध कुल बजट राशि के आधार पर प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित अधिकतम राशि के उपलब्ध होने पर, राज्यों को पहले आओ - पहले पाओ के आधार पर निधियां जारी की जाएंगी।

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) के लिए डॉ. अम्बेडकर मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	वर्ष	बजट अनुमान/संशोधित अनुमान (रूपए करोड़ में)	जारी निधियां (रूपए करोड़ में)	लाभार्थियों की संख्या
1.	2014-15	9.50/1.00	0.50	0.15 हजार
2.	2015-16	9.50/10.00	10.00	2.72 लाख*
3.	2016-17	10.00/15.12	15.12	1.84 लाख*
4.	2017-18	10.00/10.00	11.00	14.62 हजार*
5.	2018-19	103.00/23.00	23.00	21.34 हजार*
6	2019-20	23.00/13.00	13.99	प्रतीक्षित

***अनंतिम**

- **अब तक जारी कुल निधियां 73.61 करोड़ रूपए**
- **शामिल किए गए कुल ईबीसी लाभार्थी 4.92 लाख**
- **योजना दिशा-निर्देश अनुबंध में**

राज्य-वार जारी कुल निधियां और शामिल किए गए लाभार्थी **अनुबंध-II** में दिए गए है।

2. **"ओबीसी/ईबीसी के लिए विदेश में अध्ययन हेतु डॉ. अम्बेडकर शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी योजना"**

- यह योजना वर्ष 2014-15 में शुरू की गई थी। इसे 2017-18 में संशोधित किया गया था। इस योजना का उद्देश्य ओबीसी और ईबीसी के मेधावी छात्रों को ब्याज में सब्सिडी प्रदान करना है ताकि उन्हें विदेश में उच्चतर शिक्षा के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा सकें तथा उनकी रोजगारपरकता को बढ़ाया जा सके। इस योजना के तहत पात्र होने के ओबीसी और ईबीसी के लिए निर्धारित क्रीमी लेयर की वर्तमान सीमा जो 2.50 लाख प्रतिवर्ष के अंतर्गत आना चाहिए। प्रति वर्ष 50% परिव्यय बालिकाओं के लिए निर्धारित किया जाता है। छात्र ने विदेश में स्नातकोत्तर, एम.फिल अथवा पीएच.डी. स्तर के अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त कर लिया हो। उसने इस प्रयोजनार्थ भारतीय बैंक एसोसिएशन (आईबीए) की शिक्षा ऋण योजना के तहत अनुसूचित बैंक से ऋण प्राप्त किया हो।
- इस योजना के तहत आईबीए की शिक्षा ऋण योजना के तहत यथा निर्धारित स्थगन अवधि (पाठ्यक्रम अवधि के साथ नौकरी प्राप्त करने के पश्चात् एक वर्ष अथवा 6 माह जो भी पहले हो) के लिए आईबीए से शिक्षा ऋण प्राप्त करने वाले छात्र द्वारा दिए जाने वाले ब्याज का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। समय-समय पर किए जाने वाले संशोधनों के अनुसार, स्थगन अवधि के समाप्त होने के पश्चात्, बकाया ऋण राशि पर ब्याज का भुगतान छात्र द्वारा किया जाएगा। स्थगन अवधि के बाद उम्मीदवार को मूल किस्त तथा ब्याज दोनों अदा करने होंगे। इस योजना के अंतर्गत केनरा बैंक को नोडल बैंक के रूप में नामित किया गया है।

इस योजना के अंतर्गत वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	बीई/आरई	जारी की गई राशि (ओबीसी/ईबीसी)	ईबीसी/पूरे किए गए क्लेम के लाभार्थियों की संख्या (संख्या में)
1.	2014-15	6.00/1.00	0.89	52
2.	2015-16	6.66/1.00	0.99	250
3.	2016-17	2.00/3.00	2.90	347
4.	2017-18	4.30/4.30	19.87	555
5.	2018-19	10.00/10.00	10.00	903
6.	2019-20	15.00/26.09	15.00	588

- **ओबीसी/ईबीसी के लिए अब तक जारी कुल निधियां 49.65 करोड़ रूपए**
- **शामिल किए गए कुल ईबीसी लाभार्थी केवल 2695**
- **योजना दिशा-निर्देश अनुबंध में**

3. **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)** किसी जाति और वर्ग पर ध्यान दिए बगैर तथा 1.00 लाख रूपए से कम की वार्षिक पारिवारिक आय वाले आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) सहित लक्षित समूह को एमएसडी एंड ई द्वारा जारी सामान्य मानकों के अनुरूप कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम की सुविधा प्रदान करता है ताकि उन्हें दिहाड़ी/स्वःरोजगार कार्यक्रम में शामिल किया जा सके। एनबीसीएफडीसी ने वर्ष 2018-19 से कार्यक्रम में ईबीसी को शामिल कर लिया है।

- पिछले दो वर्षों के दौरान कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए गए ईबीसी लाभार्थियों की संख्या

क्र.सं.	वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	जारी निधियां (ओबीसी/ईबीसी के लिए) (रूपए करोड़ में)
1.	2018-19	2650	40.00
2.	2019-20	5465	15.00 (फरवरी)

अनुबंध- II

ईबीसी छात्रों के लिए डॉ. अंबेडकर मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम का विवरण

(राशि लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		
		जारी निधि	लाभार्थियों की संख्या	जारी निधि	लाभार्थियों की संख्या	जारी निधि	लाभार्थियों की संख्या	जारी निधि	लाभार्थियों की संख्या	जारी निधि	लाभार्थियों की संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की मांग	जारी निधि	लाभार्थियों की संख्या
आरओसी : 3601														
1	आंध्र प्रदेश			355.00	267889	364.87	181287	154.05	$			6100.61	575.00	
2	बिहार			250.00	$									
4	गोवा									200.00	$			
5	गुजरात							200.00	4819	1306.45	11703	1000.00		
7	हिमाचल प्रदेश			250.00	3577	50.74	290	300.00	8829	200.00	3196	221.57		
8	जम्मू और कश्मीर					92.92	716			244.45	1653			
11	केरल					248.04	$					5000.00		आगामी वर्ष के प्रस्ताव के साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लाभार्थियों की संख्या प्रदान की जाती है।
14	ओडिशा					2.05	97	25.95	$		923	430.42	430.42	
16	राजस्थान	50.00	147			509.07	1054				1256	141.49		
20	उत्तराखंड					74.31	$			118.80	$			
एनई : 2552														
26	मणिपुर							200.00	$					
28	सिक्किम			145.00	588	91.50	272	200.00	974	230.30	1664	393.55	393.55	
29	त्रिपुरा					58.50	308				820	33.97		
यूटी : 3601														
31	चंडीगढ					20.00	158	20.00	$		123	25.00		
यूटी : 3602														
	कुल	**50.00**	**147**	**1000.00**	**272054**	**1512.00**	**184182**	**1100.00**	**14622**	**2300.00**	**21338**	**13346.61**	**1398.97**	

संभावित प्रश्न और उत्तर

(क) "ओबीसी/ईबीसी के लिए विदेश में अध्ययन हेतु डॉ. अम्बेडकर शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी योजना"

प्रश्न.1 योजना के उद्देश्य क्या है?

उत्तरः योजना का उद्देश्य ओबीसी और ईबीसी के मेधावी छात्रों को ब्याज में सब्सिडी प्रदान करना है ताकि उन्हें विदेश में उच्चतर शिक्षा के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा सकें तथा उनकी रोजगारपरकता को बढ़ाया जा सके।

प्रश्न.2 योजना के अतंर्गत पात्रता मानदंड क्या हैं?

उत्तरः इस योजना के तहत पात्र होने के लिए ओबीसी छात्र को स्वः तथा माता-पिता सहित सभी स्रोतो से 2.50 लाख रूपए प्रतिवर्ष की आय सीमा के अंतर्गत आना चाहिए। प्रति वर्ष 50% परिव्यय बालिकाओं के लिए निर्धारित किया जाता है। छात्र ने विदेश में स्नातकोत्तर, एम.फिल अथवा पीएच.डी. स्तर के अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त कर लिया हो। उसने इस प्रयोजनार्थ भारतीय बैंक एसोसिएशन (आईबीए) की शिक्षा ऋण योजना के तहत अनुसूचित बैंक से ऋण प्राप्त किया हो।

प्रश्न.3 विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत ओबीसी की तुलना में ईबीसी के लिए आय मानदंडों में अंतर के क्या कारण हैं?

उत्तरः ओबीसी/ईबीसी के लिए विदेश में अध्ययन हेतु डॉ. अम्बेडकर शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी योजना का आरंभ वित्तीय वर्ष 2014-15 से हुआ था। इसके संशोधन और इसे आगे जारी रखने के लिए इस योजना का मूल्यांकन किया जा रहा है। योजना में संशोधन के समय आय मानदंडों और इसकी समरूपता में अंतर पर ध्यान दिया जाएगा।

प्रश्न.4 स्कीमों के अंतर्गत नोडल बैंक कौन हैं?

उत्तरः योजना के अतंर्गत केनरा बैंक नोडल बैंक है। केनरा बैंक भारतीय बैंक एसोसिएशन (आईबीए) की शिक्षा ऋण स्कीम के अंतर्गत सदस्य बैंक यथा अनुसूचित बैंक को ब्याज सब्सिडी राशि प्रदान करता है।

प्रश्न.5 इस स्कीम के अंतर्गत भुगतान की अवधि क्या हैं?

उत्तरः इस योजना के तहत आईबीए की शिक्षा ऋण योजना के तहत यथा निर्धारित स्थगन अवधि (पाठ्यक्रम अवधि के साथ नौकरी प्राप्त करने के पश्चात् एक वर्ष अथवा 6 माह जो भी पहले हो) के लिए आईबीए से शिक्षा ऋण प्राप्त करने वाले छात्र द्वारा दिए जाने वाले ब्याज का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। समय-समय पर यथा संशोधित वर्तमान शैक्षणिक ऋण योजना के अनुसार, स्थगन अवधि के समाप्त होने के पश्चात्, बकाया ऋण राशि पर ब्याज का भुगतान छात्र द्वारा किया जाएगा। स्थगन अवधि के बाद उम्मीदवार को मूल किस्त तथा ब्याज दोनों अदा करने होंगे।

प्रश्न.6 स्कीम के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के लिए वास्तविक और वित्तीय प्रगति क्या हैं?

उत्तरः इस योजना के अंतर्गत वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	बीई/आरई	जारी की गई राशि (ओबीसी/ईबीसी)	ईबीसी/पूरे किए गए क्लेम के लाभार्थियों की संख्या (संख्या में)
1.	2014-15	6.00/1.00	0.89	52
2.	2015-16	6.66/1.00	0.99	250
3.	2016-17	2.00/3.00	2.90	347
4.	2017-18	4.30/4.30	19.87	555
5.	2018-19	10.00/10.00	10.00	903
6.	2019-20	15.00/26.09	15.00	588

- **ओबीसी/ईबीसी के लिए अब तक जारी कुल निधियां 49.65 करोड़ रूपए**
- **शामिल किए गए कुल ईबीसी लाभार्थी केवल 2695**

(ख) ईबीसी के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

प्रश्न.1 स्कीम के उद्देश्य क्या हैं?

उत्तरः इस योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर/माध्यमिकोत्तर स्तर पर पढ़ने वाले ईबीसी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। आवेदक जिस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का निवासी है वहां की मान्यता प्राप्त संस्थाओं में अध्ययन के लिए उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

यह एक "सीमित निधि" वाली एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष में उपलब्ध कुल बजट राशि के आधार पर प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित अधिकतम राशि के उपलब्ध होने पर, राज्यों को पहले आओ - पहले पाओ के आधार पर निधियां जारी की जाती हैं।

प्रश्न.2 स्कीम के अंतर्गत पात्रता मानदंड क्या हैं?

उत्तरः ऐसे ईबीसी छात्रों जिनकी पारिवारिक अथवा स्वःअर्जित आय 1.00 लाख रूपए वार्षिक की पारिवारिक आय सीमा में आती है, इस छात्रवृत्ति के योग्य हैं।

प्रश्न.3 विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत ओबीसी की तुलना में ईबीसी के लिए आय मानदंडों में अंतर के क्या कारण हैं?

उत्तरः ओबीसी/ईबीसी के लिए विदेश में अध्ययन हेतु डॉ. अम्बेडकर शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी योजना का आरंभ वित्तीय वर्ष 2014-15 से हुआ था। इसके संशोधन और इसे आगे जारी रखने के लिए इस योजना का मूल्यांकन किया जा रहा है। योजना में संशोधन के समय आय मानदंडों और इसकी समरूपता में अंतर पर ध्यान दिया जाएगा।

प्रश्न.4 स्कीमों के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसी कौन हैं?

उत्तरः राज्य/संघ राज्य क्षेत्र।

प्रश्न.4 इस स्कीम के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के लिए वित्तीय और वास्तविक प्रगति क्या हैं?

उत्तरः पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) के लिए डॉ. अम्बेडकर मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	वर्ष	बजट अनुमान/संशोधित अनुमान (रूपए करोड़ में)	जारी निधियां (रूपए करोड़ में)	लाभार्थियों की संख्या
1.	2014-15	9.50/1.00	0.50	0.15 हजार
2.	2015-16	9.50/10.00	10.00	2.72 लाख*
3.	2016-17	10.00/15.12	15.12	1.84 लाख*
4.	2017-18	10.00/10.00	11.00	14.62 हजार*
5.	2018-19	103.00/23.00	23.00	21.34 हजार*
6	2019-20	23.00/13.00	13.99	प्रतीक्षित

***अनंतिम**

- **अब तक जारी कुल निधियां 73.61 करोड़ रूपए**
- **शामिल किए गए कुल ईबीसी लाभार्थी 4.92 लाख**

****